विचार बिन्दु

अधिकार जताने से अधिकार सिद्ध नहीं होता। –टैगोर

तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा की एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं यदि वे जीत जाते हैं और उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा होती है तो क्या वे पद पर बने रहेंगे?

अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिये होगा। विधानसभा के चुनाव में खडे होने के लिये व्यक्ति अर्हित तभी होगा जब वह अनुच्छेद 173 व संसद के कानून के तहत् वर्णित अर्हितायें की पूर्ति करता हो। विधानसभा के सत्र का अवसान व विघटन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार किया जाता है। फिर नये चुनाव की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 190 के अनुसार विधानसाभा व सदस्य उस समय नहीं रहेगा यदि वह निरर्हता से ग्रस्त हो जावेगा, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 191 के खण्ड (1) या खण्ड (2) में किया गया है। अनुच्छेद 191 के उपखण्ड (म) में यह उल्लेख है कि 'यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। संसद द्वारा पारित किया गया कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 है। अनुच्छेद 190 में यह व्यवस्था है कि यदि कोई विधायक उक्त जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 के तहत् निरर्हित किया जाता है तो विधानसभा का स्थान रिक्त हो जायेगा।

अनुच्छेद 192 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य की विधानसभा का काई सदस्य अनुच्छेद 191 के खण्ड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जावेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। राज्यपाल के अपेक्षा है कि वे निर्णय से पूर्व चुनाव आयोग की राय लेंगे और राय के अनुसार कार्य करेंगे।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में आर.पी. अधिनियम) की धारा 8 के अनुसार यदि संसद या विधानसभा का सदस्य दोष सिद्ध (Conviction) होता है और दो वर्ष से कम की सजा नहीं होती है तो वह निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है और यह निरर्हता दोष सिद्धि की तारीख से प्रारम्भ होगी और सजा काटने के बाद 6 वर्ष तक की निरन्तर रहेगी।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) में निम्नलिखित कानूनों की धाराओं में कन्वीक्शन होता है तो निरर्हता स्वत: मानी गई है यह निरर्हता कन्वीकशन की तारीख से सजा काटने के बाद जेल से छूटने की तारीख से 6 वर्षों तक रहेगी:–

(1) धारा 153ए आईपीसी (धर्म के नाम पर वैमनस्य)
(2) धारा 171ई, घूस देना
(3) धारा 171एफ आईपीसी
(4) धारा 171(सी) व धारा 171(1) आईपीसी
(5) धारा 376, 376ए से डी, धारा 498ए आईपीसी
(6) अपराध अन्तर्गत प्रिवेन्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955
(7) प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 आदि

आर पी अधिनियम 1951 की धारा 8(2) में चुनाव से सम्बन्धित अपराधों के मामलों में चुनाव से सम्बन्धित अपराधों के मामलों में निरर्हता ग्रस्त होने का उल्लेख है। जैसे धारा 125, धारा 135, धारा 135ए व धारा 136(2) व (3), धारा 8(3) आर पी अधिनियम के अनुसार यह व्यवस्था है कि यदि अपराध की सजा दो वर्ष से कम की नहीं है तो वह कन्वीक्शन की तारीख से प्रारम्भ होकर सजा काटने के बाद 6 वर्षों की अवधि तक रहेगा। जैसे चोरी का अपराध, मानहानि व धोखाधडी (Cheating) का अपराध आदि।

राजद के लीडर तेजस्वी यादव (जो महागठबन्धन के सम्भावित मुख्यमंत्री हैं) के विरूद्ध Cheating (धोखाधडी) आदि का केस दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। उनके विरूद्ध आरोप है कि उन्होंने और लालूजी यादव के परिवार के सभी सदस्यों ने जब लालूजी देश के रेलमंत्री थे, बिहार के लोगों की जमीन बहुत कम कीमत में खरीदी थी। जमीनों के मालिकों को प्रलोभन दिया था, Misrepresent किया था, धोखे में रखा था कि वे उन्हें राज्य की नौकरी दिलायेंगे। ये तथ्य धारा 420 आईपीसी के अपराध का दोषी तेजस्वी को बनाते हैं। मजिस्ट्रेट ने 420 आईपीसी आदि के चार्ज तेजस्वी के विरूद्ध आरोपित किये हैं। तेजस्वी के विरूद्ध आईपीसी के अपराध 420 आदि के चार्जेज आरोपित हो चुके हैं और ट्रायल दिनांक 27.10.2025 से प्रारम्भ हो चुकी है, जिसका अर्थ है Prima Facie केस बनता है अत: ट्रायल होनी है।

लेखक के एक मित्र ने जो राज्य सरकार के एक उच्च पदाधिकारी रह चुके हैं, ने पूछा कि जब तेजस्वी के विरूद्ध चार्ज स्थापित हो चुके हैं तो फिर वे चुनाव कैसे लड सकते है? लेखक ने विनम्रता से उन्हें समझाया कि चार्ज आरोप होना आरोप सिद्ध नहीं है वह तो ट्रायल के पूरा होने पर ही उपलब्ध शहाद के आधार पर दोष सिद्ध होता है।

बिहार में चुनाव प्रारम्भ हो चुके हैं और तेजस्वी (राजद के नेता) चुनाव में एक उम्मीदवाद हैं वे यदि चुनाव में जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं तथा बनने के बाद धारा 420 आईपीसी के अपराध का दोषी उन्हें माना जाता है तो संविधान के उपरोक्त प्राधानों के अनुसार विधयक बने रहने के हेतु निरर्हता से ग्रसित हो जावेंगे और विधायक की उनकी सीट रिक्त घोषित हो जावेगी। इसके अतिरिक्त चुनाव में भी वे ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो चुनाव अपराधों में आते हैं। मौखिक कथन व भाषणों में धर्मों, जाति, कॉम्यूनिटी (समुदायों) आदि के मध्य घृणा की भावना फैलाई जा रही है यह कृत्य क्रमश: जनप्रनिधित्व कानून की धारा 125 व आईपीसी की धारा 153ए तथा धारा 505 आईपीसी के तहत् अपराध है। उनके अन्य कृत्य आईपीसी की धारा 420 के तहत् भी अपराध है और इनकी सजा दो वर्ष से कम नहीं है वे निरर्हता से ग्रसित हो जावेंगे और उनकी विधायक की सीट स्वत: रिक्त मान ली जावेगी तथा कन्वीक्शन की तारीख से यह निरर्हता निरन्तर 6 वर्षों के लिये मानी जावेगी।

धारा 8(3) के तहत् वे अपराध आते हैं जिनमें यदि सजा दो वर्ष से कम की नहीं है। उदाहरण के लिये यदि कोई अपराध धारा 8(1) अथवा 8(2) के तहत् आता है जैसे मानहानि या चोरी या धोखाधडी और सजा दो वर्ष से कम की नहीं है तो भी उसे अयोग्य (निरर्हता ग्रसित) घोषित किया जा सकता है।

चुनाव में जो व्यक्ति खडे.हुये हैं, उन्होंने यदि कोई चुनाव सम्बन्धित अपराध किया है अथवा उनका कृत्य करप्ट प्रेक्टिस (भ्रष्ट आचरण) की परिभाषा में आता है अथवा ऐसे कार्य किये हैं जो कानूनी तौर पर औचित्य हीन व प्रतिबंधित हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो उनके विरूद्ध चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है और ऐसे कृत्य सिद्ध होना पाये जाते हैं तथा इनके घटित किये जाने से चुनाव का नतीजा प्रभावित हुआ है, तो हाईकोर्ट को जिसे चुनाव याचिका की सुनवाई करने का अधिकार है, उसे चुनाव रद्द करने का अधिकार प्राप्त है तथा उस व्यक्ति को करप्ट प्रेक्टिस में भाग लेने के कारण 6 वर्ष तक की अवधि के लिये प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेताओं द्वारा जो लोक लुभावने वायदे फ्रीबीज के किये जा रहे हैं कानूनी दृष्टि से ये कृत्य आर.पी. एक्ट 1951 की धारा 123 के तहत् परिभाषित Corrupt Practice माना जा सकता है। इस संबंध में चुनाव याचिका अथवा फौजदारी कार्यवाही करना ही सही कानूनी प्रक्रिया है। लोकतंत्र में चुनाव Fair होने चाहिये; किन्तु Free Beej की यानी घूस (Bribe) की आंधी से लोकतंत्र अपना सही मार्ग भूल गया है। चुनाव का यह नियम है कि यदि कोई निरर्हता ग्रसित होता है तो प्राप्त वोट, ऐसे माने जावेंगे, मानो वे रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये हैं। यदि विधायक ने जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 8(1) के अपराध किये हैं तो उसे निरर्हता ग्रसित (Disqualify) अर्थात् चुनाव लडने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह अयोग्यता कन्वीक्शन की तारीख से 6 वर्ष तक रहेगी। यह अयोग्यता स्वत: ही होगी, जिसमें यह भी आवश्यक नहीं है कि उसे सजा 2 वर्ष से कम की नहीं है। इस केटेगरी में धारा 153ए आईपीसी (दो समुदायों में धर्म, जाति के नाम पर घृणा फैलाना) रिश्वत देना (धारा 171 सी आईपीसी), रेप आदि के Offence आते हैं। चुनाव कानून के (आर पी एक्ट) के अपराध जैसे धारा 125, धारा 135, 135ए आदि हैं इनमें भी अयोग्यता स्वत: है।

धारा 8(3) के तहत् वे अपराध आते हैं जिनमें यदि सजा दो वर्ष से कम की नहीं है। उदाहरण के लिये यदि कोई अपराध धारा 8(1) अथवा 8(2) के तहत् आता है जैसे मानहानि या चोरी या धोखाधडी और सजा दो वर्ष से कम की नहीं है तो भी उसे अयोग्य (निरर्हता ग्रसित) घोषित किया जा सकता है।

तेजस्वी यादव के विरूद्ध Cheating का अपराध है, यदि वे कन्वीक्ट होते हैं और सजा दो वर्ष से कम नहीं है तो वे अयोग्य होंगे यानी निरर्हता ग्रसित होंगे और उनकी सीट स्वत: रिक्त हो जावेगी। यदि Cheating (420 IPC) में सजा 2 वर्ष से कम है तो अयोग्यता स्वत: नहीं होगी हाँ राजनीतिक पार्टी या हाउस उनके विरूद्ध कोई भी घरेलू कार्यवाही के बाद कोई दण्ड दे सकती है।

राहुल गांधी के विरूद्ध धारा 500 भा.द.सं. के मानहानि के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्वीक्शन को (सजा को ही नहीं) निलम्बित किया था वह भी सीआरपीसी के अपने विशेष अधिकार के तहत् धारा 389 अत: उनकी सदस्यता पुन: रेस्टोर (बहाल) हो गई। यहाँ यह लिखना भी उचित होगा कि आर पी एक्ट 1951 की धारा 8(4) में एमपी/एमएलए को 3 माह का समय अपील दायर करने का दिया गया है किन्तु यह प्रावधान लीली थोमस के केस (2013) 7 एससीसी 653 में सुप्रीम कोर्ट की तीन पीठ ने असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की उस माननीय पीठ ने, कन्वीक्शन को निलम्बित किया उसके समक्ष लीली थोमस का केस किसी भी पक्षकार पार्टी के सुयोग्य एडवोकेट ने रेफर नहीं किया ऐसा प्रतीत होता है। लीली थोमस का केस आर पी एक्ट की धारा 8(3) के अनुसार स्वत: (Self Executing) तथा Automatic माना गया था तथा सीट के रिक्त होने के विषय को अनुच्छेद 101(3)/190(3)(a) के सन्दर्भ में परखा गया था तथा धारा 8(4) का लाभ नहीं दिया था। जब तक सुप्रीम कोर्ट लीली थोमस के केस को पुन: सुनकर रिवर्स न करे, देश का कानून तो वही रहेगा। अत: इसका रिव्यू न्यायहित में होना आवश्यक है।

अनुच्छेद 101 का सम्बन्ध सांसद की सदस्यता से है और अनुच्छेद 190 विधायक के सम्बन्ध में है। धारा 420 आईपीसी (Cheating) का व मानहानि का अपराध धारा 500 आईपीसी पुरानी भारतीय दण्ड संहिता से है, इन्हें नये कानूनों की धाराओं के साथ समझकर, पाठक अध्ययन करें।

लेखक का अभिमत है कि कन्वीक्शन को स्टे किया, जब वह प्रभावशील हो चुका था। कन्वीक्शन के कारण सांसद की सीट रिक्त हो चुकी थी और धारा 8(4) आर.पी. एक्ट स्वंय ही असंवैधानिक होने से अस्तित्व खो चुकी थी। शास्त्रों का सिद्धान्त है शून्य में से न घटाया जा सकता है और न जोड़ा जा सकता है।

बिहार के प्रथम चरण के चुनाव जो 6 नवम्बर से प्रारम्भ होंगे, उनमें 121 सीटों के चुनाव के 27: उम्मीदवारों पर गम्भीर आपराधिक आरोप हैं, यों 32: उम्मीदवारों पर आपराधिक केसेज हैं। अत: प्रस्तुत प्रसंग केवल तेजस्वी यादव का ही नहीं है अपितु सभी राजनीतिक पार्टियों का है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) व बिहार इलेक्शन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार राजद के 76:, भाजपा के 65: तथा कांग्रेस के 65: ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके विरूद्ध फौजदारी के मुकदमें हैं। प्रथम चरण में 1314 उम्मीदवार हैं उनमें से 1303 ने शपथ-पत्र पर इसे स्वीकार किया है। इनमें से 423 ऐसे हैं, जिनके विरूद्ध फौजदारी व 354 के विरूद्ध गम्भीर अपराधों के आरोप हैं।

पाठक स्वंय मूल्यांकन करें, यदि इन्हें सजा होती है तो कानून की पृष्ठभूमि में बिहार के चुनाव का अन्तिम परिणाम क्या होगा?

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

अखंड भारत की एकता के शिल्पी "सरदार वल्लभभाई पटेल"

राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) पर विशेष - सरदार वल्लभभाई पटेल के संकल्प "एक भारत-श्रेष्ठ भारत-आत्मनिर्भर भारत" को साकार करने का अवसर

डॉ. गोरधन लाल शर्मा

राष्ट्रीय एकता दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि अखंड भारत की आत्मा को नमन करने का दिवस है। यह वह अवसर है, जब हम स्वतंत्र भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रिनर्माण के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के अदम्य संकल्प, दूरदर्शिता और संगठन कौशल को स्मरण करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद बिखरी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत को उसकी भौगोलिक और राष्ट्रीय एकता प्रदान की।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी-संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक :–गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित, 182 मीटर ऊँची, दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवल स्टील और कंक्रीट से बनी एक स्मारक नहीं अपितु यह उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिसने भारत को उसकी क्षेत्रीय आत्मा दी। यह उन मूल्यों की याद दिलाता है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ते हैं। हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्र अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए रुकता है। उनकी दूरदर्शिता, साहस और कूटनीतिक कौशल ने एक खंडित उपमहाद्वीप को एक अखंड देश में बदल दिया। इस दिन को एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो न केवल पटेल के नेतृत्व को बल्कि विविधतापूर्ण होते हुए भी अविभाज्य भारत के चिरस्थायी विचार को भी ट्रिब्यूट है।

देश में पनपने वाले क्षेत्रवाद, सांप्रदायिक विभाजन और राजनीतिक ध्रुवीकरण हमारी सामूहिक भावना की परीक्षा लेते रहते हैं, सरदार पटेल का मूलमंत्र 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का विचार आज भी हमारा मार्गदर्शक बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की महानता समानता में नहीं बल्कि साझा मूल्यों और पारस्परिक सम्मान के माध्यम से अनगिनत मतभेदों को एक साथ रखने की उसकी क्षमता में निहित है।

राष्ट्र को जोड़ने वाली लौह इच्छाशक्ति :–वर्ष 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो जश्न के साथ एक बड़ी चुनौती भी आई। अंग्रेज़ 562 रियासतें छोड़ गए थे, जिनमें से हर एक के अपने शासक और आकांक्षाएं थीं। अखंड भारत का सपना आसानी से अराजकता और विभाजन में बदल सकता था। जब देश में अंग्रेज़ों की फूट डालो–राज करो की नीति का जहर घोल रहे थे, उस महत्वपूर्ण क्षण में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकीकरण के सूत्रधार के रूप में आगे आए। दृढ़ता और कूटनीति के अद्भुत मिश्रण से, उन्होंने अधिकांश शासकों को भारत में विलय के लिए राजी कर लिया और विरोध करने वालों से निर्णायक रूप से सर्मपण करवा दिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य दुर्गम क्षेत्रों से निपटने में उनके संयम, चातुर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति का संगम देखने को मिला। सरदार पटेल की सफलता केवल प्रशासनिक ही नहीं थी, यह दूरदर्शी भी थी।

सांझी सांस्कृतिक विरासत और संस्थागत एकता के संवाहक :–सरदार पटेल की सांझी सांस्कृतिक विरासत को इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह देश की संरचना, देश की सिविल सेवाओं में, इसके संघीय ढाँचे में और इसके राष्ट्रीय चरित्र में समाहित है। अपने सार्वजनिक जीवन में उनका अनुशासन, कर्तव्य और राष्ट्रिहत पर हमेशा फोकस रहता था जो आज भी हमारे सार्वजनिक जीवन का मार्गदर्शन करता है।

एकता दिवस का अर्थ और प्रासंगिकता :–एकता दिवस मनाने का अर्थ है राष्ट्रवाद के उस विचार का उत्सव मनाना जो जाति, पंथ, भाषा या क्षेत्र की सभी बाधाओं से परे है। यह प्रत्येक नागरिक से संकीर्ण निष्ठाओं से ऊपर उठकर भारत के व्यापक आदर्श के प्रति प्रतिबद्ध होने का आव्हान करता है। हर साल इस दिन को मनाते हुए हमें याद रखना चाहिए कि एकता विरासत में नहीं मिलती, इसे पोषित करना होता है। यह एक रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी है कि हम एक–दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, विविधता का सम्मान कैसे करें और राष्ट्र को स्वार्थ से ऊपर कैसे रखें। सरदार वल्लभभाई पटेल ने हमें एक अखंड भारत दिया। इसे सशक्त, समावेशी और जीवंत बनाए रखने का दायित्व हम पर है। एकता दिवस की भावना हमें याद दिलाती है कि केवल एक अखंड भारत ही वास्तव में एक महान भारत, एक भारत, महान भारत बन सकता है।

कांस्य में डाली गई एक विरासत :–2018 में अपने उद्घाटन के बाद से, यह प्रतिमा वार्षिक राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का केंद्र बन गई है, जहाँ देश भर से नागरिक, पुलिस व सैन्य बलों के सदस्य, युवा समूह और सांस्कृतिक कलाकार आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एकता दिवस संबोधन में कहा था, स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी अतीत का स्मारक नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक प्रतिज्ञा है।

संस्थागत विकास से डाली सशक्त भारत की नींव :–सरदार पटेल का एकता का दृष्टिकोण मज़बूत संस्थाओं पर उनके ज़ोर से जुड़ा हुआ था। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने का एक सोचा–समझा प्रयास था। अधिकारियों के पहले बैच को दिए गए उनके शब्द, जनता की सेवा और राष्ट्र की अखंडता की भावना बनाए रखें आज भी शासन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत बने हुए हैं।

सुशासन के लिए दी स्टील फ्रेम ऑफ इण्डिया की अवधारणा :–21 अप्रैल, 1947 को नई दिल्ली के मेटकाफ हाउस में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रथम बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा था आप भारत के स्टील फ्रेम हैं, आप पर इस राष्ट्र की एकता और सुशासन का दायित्व है। उनके इसी संदेश की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जहाँ शासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह परंपरा उनके सुशासन और जवाबदेही के सिद्धांतों की जीवंत विरासत है।

विकसित भारत 2047 का संकल्प :–जैसे–जैसे भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, एकता का असली पैमाना भौतिक भूभाग नहीं, बल्कि साझा उद्देश्य है। जिस विचार ने कभी 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया था, अब उसे 145 करोड़ सपनों को एक सूत्र में पिरोना होगा। सरदार पटेल की दूरदर्शिता 1947 में स्थिर नहीं हुई थी–यह भविष्यसूचक थी। एकता का उनका आ ान आज भी भारत का राष्ट्रीय दिशासूचक है।

इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम सरदार वल्लभभाई पटेल के आदर्शों पर चलते हुए भारत की विविधता में एकता, सांस्कृतिक गौरव, स्वदेशी मूल्यों, अखंडता और गौरवमयी इतिहास की ज्योति को प्रज्वलित कर सरदार पटेल के "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के सपने को सदा जीवंत रखेंगे।

डॉ. गोरधन लाल शर्मा
समाजशास्त्री, लेखक एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी।

ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर : सुशासन की अवधारणा को नई दिशा

राजेंद्र गहलोत

राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए गए सेवा शिविरों का उद्देश्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सुशासन और सुविधा पहुंचना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह पहल एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर संकेत करती है, जहां प्रशासन अब आमजन की दहलीज पर जाकर उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। सेवा शिविर न केवल तात्कालिक प्रशासनिक सुविधा हैं, बल्कि वे सुशासन की अवधारणा को भी नई दिशा देते हैं।

इन शिविरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर की गई, जिससे यह अभियान सेवा और सुशासन की राष्ट्रव्यापी अवधारणा से जुड़ गया। शिविरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां 18 विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे आमजन को उपलब्ध हो रही है। पहले आम नागरिकों को सरकारी प्रमाण पत्र, पट्टे, पेंशन, बिजली या अन्य शिकायतों के लिए दफ्तर–दफ्तर भटकना पड़ता था। अब एक ही स्थान पर, शिविर स्थल पर, तत्काल समाधान मिल रहा है। इससे देरी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम हो रही हैं। इन शिविरों में नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र वितरण, भू–राजस्व शुद्धिकरण, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार आदि के कुल 18 प्रमुख प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, 2.04 लाख से ज्यादा जाति प्रमाण पत्र, 1.53 लाख भू–राजस्व शुद्धिकरण प्रकरण, 1.24 लाख नामांतरण निस्तारण, 1.72 लाख मूल निवास प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से जारी है। सभी पंचायतें कवर करने के लिए हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को दो ग्राम पंचायतों में शिविर लगते हैं। राजस्व विभाग द्वारा मौके पर ही नामांतरण, नोटिस तामील, प्रमाणपत्र वितरण, आदि कार्य पूरे किए जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास विभाग गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल सर्वे कर रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग टीबी मुक्त भारत, मातृ–शिशु स्वास्थ्य जांच जैसी योजनाएं चला रहा है। पशुपालन विभाग ने मवेशियों के लिए 2.60 लाख से ज्यादा बीमा पॉलिसियां जारी कर चुका है। कृषि विभाग बीज किट वितरित करता है और आपदा प्रबंधन विभाग राहत राशि मंजूर कर रहा है।

शहरी क्षेत्रों में शिविर न केवल प्रशासनिक कार्यों को त्वरित गति कर रहे हैं, बल्कि शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार ला रहे हैं। सड़क मरम्मत, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत व नई लाइट्स लगाने के साथ प्रमुख चौराहों और पार्कों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। नगर निकायों में जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टों के प्रकरणों का निस्तारण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आवेदन आदि महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य भी किए जा रहे है। शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से 1.95 लाख से अधिक पट्टा वितरण, 2.60 लाख मवेशी बीमा पॉलिसियां, 2.04 लाख जाति प्रमाण पत्र वितरण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार 1.98 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रकरण, 1.48 लाख जनधन खातों का संचालन, 1.42 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स लगाना, 17 लाख किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच की जा चुकी है। शिविरों मे 24.36 लाख मरीजों का उपचार, 10.77 लाख की टीबी व एनसीडी रोग स्क्रीनिंग की गई। खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर 95,800 से अधिक आवेदन मंजूर हुए, जन आधार योजना में 1.13 लाख लोगों को लाभ, 25 हजार लोगों को स्व निधि ऋण, वय वंदन कार्ड जारी होने की संख्या 75,600 रही है। इन शिविरों से आमजन को त्वरित समाधान और राहत मिली है। नामांतरण, जाति व निवास प्रमाणपत्र या बिजली–बिल जैसी वर्षों से लंबित समस्याएं कुछ घंटों में निस्तारित की जा रही है। इससे न केवल जनता का सरकार पर विश्वास मजबूत हुआ है, बल्कि प्रशासनिक इकाइयों की कार्यकुशलता में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में विशेष रियायतें भी दी हैं। सबसे अहम यह कि बकाया लीज राशि यदि एकमुश्त दी जाती है तो ब्याज में 100ङ छूट मिलेगा। यह वर्षों से लंबित मामलों में दबे हजारों नागरिकों, व्यापारियों व परिवारों के लिए सीधी राहत है। ऐसे प्रयोग सार्वजनिक प्रशासन के प्रति जनता में सकारात्मकता और सहभागिता बढ़ाते हैं।

पारदर्शिता, सरलता और व्यापक स्तर पर आयोजित इन शिविरों में की गई घोषणाओं व निस्तारण का अमल जमीनी स्तर पर भी उतना ही पुख्ता करने के लिए सतत निगरानी और मूल्यांकन भी किया जा रहा है। सेवा शिविर प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता और नागरिक सहभागिता का मिला जुला उदहारण बन चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं और विकास का लाभ पहुंचे। इसी भावना के अनुरूप सेवा शिविर न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम हैं, बल्कि 'अंत्योदय' की संकल्पना को भी साकार कर रहे हैं।

–राजेंद्र गहलोत,
सांसद, राज्यसभा

राशिफल शुक्रवार 31 अक्टूबर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, धनिष्ठा नक्षत्र सायं 6:51 तक, वृद्धि योग रात्रि 4:32 तक, कौलव करण दिन 10:04 तक, चन्द्रमा आज प्रात: 6:48 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–तुला, चन्द्रमा–कुम्भ, मंगल–वृश्चिक, बुध–वृश्चिक, गुरू–कर्क, शुक्र–कन्या, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज रवियोग सम्पूर्ण दिन–रात है। आज आंवला नवमी, श्री हरि जयन्ती कृत युगादि, मथुरा प्रदक्षिण है। पंचक प्रात: 6:48 से आरम्भ होंगे। आज जग धात्री पूजा (बंगाल में) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:02 तक, लाभ–अमृत 8:02 से 10:48 तक, शुभ 12:10 से 1:33 तक, चर 4:19 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:40, सूर्यास्त 5:41 तक

मेष

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है। आज घर–परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों में परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। अटके कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
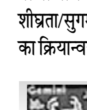
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

कर्क
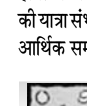
व्यक्तिगत कारणों से भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी का भय है।

सिंह
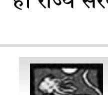
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कन्या
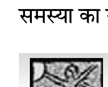
आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

तुला
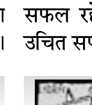
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित मामलों में उचित सोच–विचार हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में उचित परामर्श मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
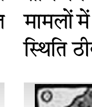
घर–परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।

धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

मकर

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कुंभ
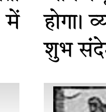
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मीन
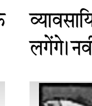
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। आज मन में असंतोष बना रहेगा।